संख्या- /2016/ /पाँच-6-2016-2(निर्माण)/15

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद सिद्धार्थनगर में 06 बॉडी आधुनिक चीरघर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-89.55 लाख की प्रशासनिक एवं रू0-36.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9565/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 11.08.2016 व अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-10465/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 28.10.2016 तथा शासनादेश संख्या-72/पांच-6-13-20(रिट)/12, दिनांक 06.02.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में 06 बॉडी आधुनिक चीरघर के भवन निर्माण कार्य के लिये मानकीकृत लागत के आधार पर रू0-52.99 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त उक्त जनपद सिद्धार्थनगर में 06 बॉडी आधुनिक चीरघर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.12.16 में उक्त कार्य की रू0-89.55 लाख की लागत अनुमोदित की गयी है।

2- अतएव व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के आधार पर जनपद सिद्धार्थनगर में 06 बॉडी आधुनिक चीरघर के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 89.55 लाख (रूपया नवासी लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासनिक तथा रू0-36.56 लाख (रूपया छत्तीस लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-72/पांच-6-13-20(रिट)/12, दिनांक 06.02.2013 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11) भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-9/2016-सर्विस टैक्स दिनांक 01.03.16 के अनुसार दिनांक 01.03.15 से पूर्व के स्वीकृत कार्य, चाहे इन कार्यों की लागत पुनरीक्षित की गयी हो तथा दिनांक 01.03.15 धनराशि प्राप्त हुई हो, पर सर्विस टैक्स की देयता नहीं है, जिसके क्रम में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा सर्विस टैक्स की धनराशि अनुमन्य नहीं की गयी है।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को 06 माह के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है और इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2016-2017 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-10- चीरघर का निर्माण-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 361 /2016/ 2645 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
9- प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2016/ /पांच-6-2016-रिट-36टी.सी.1

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

विषयः- जनहित याचिका संख्या-8361/2016 फारूक अहमद, एडवोकेट बनाम उ0प्र0 सरकार तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.16 के अनुपालन में जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड-फतेहपुर चौरासी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना/भवन निर्माण के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर चौरासी, उन्नाव के पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7471/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 17.05.2016 व अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-10505/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 03.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-1237/पॉच-6-16-रिट-36/16, दिनांक 05.07.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित याचिका संख्या-8361/2016 फारूक अहमद, एडवोकेट बनाम उ0प्र0 सरकार तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.16 के अनुपालन में जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड-फतेहपुर चौरासी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना/भवन निर्माण के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर चौरासी, उन्नाव के पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) विभाग द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5 व लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन), उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली-1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त के साथ ही संलग्न तालिका के कालम-4 के अनुसार विवरणानुसार पुराने, निष्प्रयोज्य व जर्जर भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए उक्त तालिका के कालम-5 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 5.25 लाख (रूपया पॉच लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति इस शर्त

के साथ प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने योग्य उक्त अनुमानित धनराशि को ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलबे के निस्तारण से प्राप्त वास्तविक धनराशि का अपने स्तर से समायोजन कर लिया जायेगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 362 /2016/ 3026 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव ।
3. अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव ।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-5/ गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
9. विभागीय वेब मास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या- 362 /2016/3026 / पांच-6-2016-रिट-36टी.सी.1, तद्दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	प्रायोजना का नाम	प्रायोजना के निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित भवन (निर्माण वर्ष)	ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित भवनों के विवरण (रूपया लाख में)	बट्टे खाते में डाले जाने योग्य धनराशि (रूपया लाख में)
1	2	3	4	5
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर चौरासी, उन्नाव का भवन निर्माण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर चौरासी, उन्नाव (1951), मुख्य केन्द्र (1951), श्रेणी-3 आवास 01 नग (1951), श्रेणी-2 आवास 02 नग (1951), श्रेणी-1 आवास 04 नग (1951) व चिकित्सा अधिकारी आवास 01 नग (1986)	पुस्तांकित मूल्य- 6.61 स्क्रैप मूल्य - 4.98 ध्वस्तीकरण की लागत- 3.62 मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि - 1.36	5.25

(रूपया पॉच लाख पच्चीस हजार मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।